रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072024-255408
CG-DL-E-13072024-255408

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2587] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2024/आषाढ 21, 1946
No. 2587] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2024/ASHADHA 21, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2024

का.आ. 2723(अ).—यत:, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य के सिपकॉट उद्योगिक विकास केंद्र बरगुर, उथनगरई एवं पोचामपल्ली तालुक, कृष्णागिरी जिले में ग्रेनाइट संसाधन उद्योगक सेवाओं हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधिसूचना संख्याओं का.आ.595(अ) दिनांक 15 मार्च, 2010, का.आ.2835(अ) दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 एवं का.आ.4425(अ) दिनांक 21 सितम्बर, 2022 के तहत् उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 153.830 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित एवं 58.290 हेक्टेयर तथा 34.83 हेक्टेयर के क्षेत्रों को अनधिसूचित किया था;

और यत:, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 10.10 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 5801731/एमआईबी.1/2023-1 दिनांक 15 मार्च, 2024 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्ज़ विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 10.10 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 10.10 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 50.61 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित एस.एफ. संख्यायें और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	गाँव का नाम	एस.एफ. संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	बालेथोटटम	726 भाग	10.10
कुल			10.10
उपयुक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			50.61

[फा.सं. एफ.1/44/2009-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2024

S.O. 2723(E).—Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for granite processing industries sector in SIPCOT Industrial Growth Centre, Bargur, Uthangarai and Pochampali Taluk, Krishnagiri District in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 153.830 hectares and subsequently, de-notified two areas of 58.290 hectares and 34.83 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Gazette Notification Numbers S.O. 595(E) dated 15th March, 2010, S.O. 2835(E) dated 09th October, 2015 and S.O. 4425(E) dated 21st September, 2022, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 10.10 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 5801731/MIB.1/2023-1, dated 15th March, 2024;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 10.10 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 10.10 hectares, thereby making resultant notified area as 50.61 hectares. The S.F. numbers and the areas for de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	S.F. No.	Total area (in hectares)
1.	Balethottam	726 Part	10.10
Total			10.10
Grand total area of SEZ after above deletion			50.61

[F. No. F.1 /44/2009-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.07.13 16:11:27 +05'30'